(IX)

सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों (पेंशन भोगियों) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया

1. सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में प्रावधान बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 में है। उक्त नियमावली के नियम–27 में ''पेंशन'' को इस रूप में परिभाषित किया गया था कि पेंशन में उपदान शामिल हैं। परन्तु, वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–77 दिनांक–21.01.2019 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार 'पेंशन' को अब निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है–

"27. नियम–43(घ) के अधीन मामलों को छोड़कर पेंशन में उपदान शामिल है।"

2. नियम–43 का पूरा अद्यतन प्रावधान निम्नानुसार है–

नियम–43. (क) भविष्य सदाचार, हर पेंशन–प्रदान की मानी हुई शर्त्त है। सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोके रखने या वापस ले लेने का अधिकार होगा, यदि पेंशन–भोगी गंभीर अपराध के लिये दोषी ठहराया जाए या घोर कदाचार का दोषी हो। इस नियम के अधीन समूची पेंशन या उसका कोई अंश रोके रखने या वापस ले लेने के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार का निर्णय अन्तिम और निर्णायक होगा।

(ख) सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार है चाहे स्थायी रूप में या विशिष्ट अवधि के लिए। यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से कोई सरकारी सेवक घोर कदाचार का दोषी साबित हो अथवा सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची है, तो सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है;

परन्तु

(क) ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि उस समय न चलायी गई हो जबकि सरकारी सेवक निवृत्ति पूर्व या पुनर्नियुक्ति की अवधि में कर्त्तव्यस्थथा

(i) सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार की मंजूरी के बिना न चलाई जायेगी;

(ii) उस घटना के संबंध में चलायी जायेगी जो विभागीय कार्यवाही चलाये जाने की तिथि से चार वर्ष से अधिक पहले घटित नहीं हुआ;

Scanned with OKEN Scanner

(iii) सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्देशित प्राधिकार द्वारा एवं निर्धारित स्थान पर ऐसी सभी विभागीय कार्यवाहियाँ, जिनमें सेवा के बर्खास्तगी का आदेश भी दिया जा सकता है, लागू होनेवाली प्रक्रिया के अनुसार चलाई जाएगी।

(ख) ऐसी न्यायिक कार्यवाहियाँ यदि सरकारी सेवक पर निवृत्ति पूर्व या पुनर्नियुक्ति के अवधि में कर्त्तव्यस्थ रहने पर नहीं चलाई गई हो तो खण्ड (क) के उप खण्ड (ii) के अनुसार चलाई जायेगी।

(ग) अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की जायेगी।

स्पष्टीकरणः– इस नियम हेतु–

(क) विभागीय कार्यवाही उस समय चलाई गई समझी जायेगी जब पेंशनभोगी सेवक के विरुद्ध गठित आरोपों की प्रति उसे निर्गत कर दी गई हो या उसे पूर्व की तिथि से उस तिथि को निलम्बित कर दिया गया हो; और

(ख) न्यायिक कार्यवाही उस समय चलायी गई समझी जायेगी जब–

(i) आपराधिक मामलों में उस तिथि को जब परिवाद पत्र दाखिल किया गया या आरोपपत्र फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया; और

(ii) सिविल कार्यवाही में, उस तिथि को जब परिवाद प्रस्तुत किया गया या जैसा भी मामला हो, सिविल न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया है।

(ग) जहाँ सरकारी सेवक की सेवा अवधि में प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही या ऐसी न्यायिक कार्यवाही, जिसमें उक्त सेवक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत हो, सेवानिवृत्ति तक अंतिम रूप से निष्पादित नहीं हुई हो, वहाँ औपबंधिक पेंशन की राशि नियमतः अनुमान्य पेंशन की अधिकतम राशि से कम होगी पर किसी स्थिति में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(घ) यदि सेवानिवृत्ति की तिथि को सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो, उपदान की पूर्ण राशि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही के अन्तिम निष्कर्ष एवं तदनुसार आदेश निर्गत होने तक रोक रखी जा सकेगी;

परन्तु जहाँ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14(i), (ii) एवं (v) में वर्णित लघु दंड अधिरोपित करने हेतु नियम–19 के अधीन विभागीय

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही संस्थित की गयी है, वहाँ सरकारी सेवक को उपदान का भुगतान किया जा सकेगा।

3. नियम–43 के उक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि–

(i) सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाही उसी घटना के संबंध में चलायी जा सकती है जो विभागीय कार्यवाही चलाये जाने की तिथि से चार वर्ष से अधिक पहले घटित नहीं हुई हो।

(ii) विभागीय कार्यवाही उस समय चलायी गयी समझी जायेगी जब पेंशनभोगी सेवक के विरुद्ध आरोप–पत्र निर्गत कर दिया गया हो, अथवा पूर्व की तिथि से निलंबित कर दिया गया हो। इसका आशय यह है कि यदि सेवानिवृत्ति के पूर्व आरोप–पत्र निर्गत कर दिया गया हो या निलंबित कर दिया गया हो तो विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ मानी जायेगी और सेवाकाल में चलायी गयी ऐसी कार्यवाही सेवानिवृत्ति के उपरान्त नियम–43(ख) के अंतर्गत कार्यवाही में स्वतः सम्परिवर्तित समझी जायेगी।

[यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वित्त विभागीय ज्ञापांक–12753वि0दिनांक–26.11.70 द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि Government Servant under suspension should retire on reaching the age of superannuation irrespective of the question whether enquiries into charge or departmental or judicial proceedings initiated against them have been concluded or not.]

(iii) इस नियम के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही चलाये जाने की प्रक्रिया वही होगी जो सेवा से बर्खास्तगी की सम्भावना में चलाये जाने की है। अर्थात् नियम–43(ख) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही की वही अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया होगी जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 में निर्धारित है।

(iv) नियम–43(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही फलाफल के अधार पर अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–9794 दिनांक–22.07.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित) के विनियम–11 एवं 12 को प्रतिस्थापित किये जाने तथा परिपत्र संख्या–14123 दिनांक–16.10.2019 द्वारा निर्गत एतद्संबंधी स्पष्टीकरण में **राज्य सेवा संवर्ग के लेवेल–9 एवं इससे उच्चतर लेवेल के राजपत्रित कोटि के सरकारी सेवकों, जिनकी नियुक्ति/प्रोन्नति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य आयोग की अनुशंसा/परामर्श से की जाती हो, उनके अनुशासन संबंधी मामलों में पेंशन से**

Scanned with OKEN Scanner

कटौती अथवा वृहद दंड का आदेश दिये जाने की स्थिति में सरकार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक होने का प्रावधान किया गया है। आयोग के ऐसे परामर्श पर विचार भी किया जाना है।

(v) आपराधिक कार्यवाही उस तिथि को चलायी गयी समझी जायेगी जब परिवाद पत्र दाखिल किया गया हो या अभियोग पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया हो।

(vi) सिविल कार्यवाही (न्यायिक) उस तिथि को चलायी गयी समझी जायेगी जब परिवाद प्रस्तुत किया गया हो या सिविल न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया हो।

(vii) सेवाकाल में प्रारम्भ की गयी अनुशासनिक कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही (जिसमें अभियोजन स्वीकृत हो) यदि सेवानिवृत्ति तक अंतिम रूप से निष्पादित नहीं होती है तो 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन मिलेगा।

(viii) सेवानिवृत्ति की तिथि को विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लम्बित रहने पर उपदान की पूर्ण राशि कार्यवाहियों के अन्तिम निष्कर्ष एवं तदनुसार आदेश निर्गत होने तक रोक रखी जायेगी। परन्तु, यदि निन्दन, प्रोन्नति पर रोक एवं असंचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने हेतु विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19 के तहत चलायी गयी हो तो वहाँ उपदान का भुगतान किया जा सकेगा।

4. Misconduct, Insolvency या Inefficiency के कारण सेवा से बर्खास्तगी या सेवामुक्ति और दंडस्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–46 एवं 46A के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जा सकती है। उक्त नियम निम्नानुसार हैः–

नियम–46 No pension may be granted to Government Servant dismissed or removed for misconduct, insolvency or inefficiency; but to Government Servant so dismissed or removed compassionate allowance may be granted when they are deserving of special consideration;

Provided that the allowance granted to any Government Servant shall not exceed two-third of the pension which would have been admissible to him if he had retire on medical certificate.[this Rule took effect from the 18th June, 1935]

नियम–46A A Government Servant compulsorily retired from service as a penalty may be granted by the authority, competent to impose such penalty

Scanned with OKEN Scanner

pension at rate not less than two-thirds and not more than full invalid pension and special additional pension, if any, admissible to him on the date of compulsory retirement;

Provided that in the case of a Government Servant mentioned in rule, who has completed before such complulsory retirement, 25 years of qualifying service or more the pension shall be not less than two-thirds of the invalid pension and not more than the full retiring pension and special additional pension, if any, to which he would have been entitled, if he retired on the date.

Note.1 This ruld applies also the those Government Servant who are governed by the New Pension Rules issued with the F.D. resolution no.12548 F dated 23th August, 1950, as amended from time to time.

Note.2 when a Government servant is compulsorily retired, but not as a measure of penalty, his case will be governed by the rule 134(b) of the Bihar Pension Rules read with rule 74 of the Bihar Service Code.

5. बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 का प्रावधान निम्नवत् है–

नियम–139. (क) इस नियमावली के अधीन अनुमान्य पूरी पेंशन मामूली तौर से न दी जाएगी, अथवा तब तक न दी जाएगी जब तक कि की गयी सेवा वस्तुतः अनुमोदित न हो गयी हो।

(ख) यदि सेवा पूर्णतः सन्तोष जनक न रही हो, तो पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी पेंशन की रकम में यथोचित कटौती कर सकता है।

(ग) अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन पारित पेंशन स्वीकृति संबंधी आदेश को पुनरीक्षण की शक्ति सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार को है यदि सरकार का यह समाधान हो जाये कि सम्बद्ध सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार का पर्याप्त सबूत है **अथवा** उसका कार्यपूर्ण असंतोषप्रद रहा है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सम्बन्धित पेंशनर को उचित जबाब देने का अवसर प्रदान करने और उससे जबाब प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए, पर इस शक्ति का प्रयोग प्रथम पेंशन की स्वीकृति की तिथि से तीन साल के बाद नहीं की जायेगी।

6. बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 में Service के Thoroughly satisfactory नहीं रहने अथवा गम्भीर कदाचार के कारण पेंशन पुनरीक्षण का प्रावधान है; परन्तु यह कार्रवाई प्रथम पेंशन की स्वीकृति के तीन वर्षों के अन्दर कारण पृच्छा/उत्तर का अवसर देने के बाद की जा सकती है। उपर्युक्त में से गम्भीर कदाचार की स्थिति में नियम–43(ख) के आलोक में विभागीय कार्यवाही चलाकर निर्णय लिया जाना न्याय

Scanned with OKEN Scanner

संगत हो सकता है और ऐसी स्थिति में उक्त तीन वर्षों की समय–सीमा का पालन करना होगा।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 एवं 139 की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण न्याय निर्णय–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–1893 दिनांक–14.06.2011 की कंडिका–2(16) में उक्त संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान किया गया है जो निम्नवत् है–

"2(16) माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 12943/09 (उर्मिला शर्मा बनाम बिहार राज्य एवंअन्य) में दिनांक–10.05.2010 को पारित आदेश के तहत स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी गयी है कि **बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43बी के अन्तर्गत चार वर्षों की गणना, घटना की तिथि से होगी, न कि घटना की जानकारी की तिथि से, अतः कदाचार का आरोप जिस घटना से संबंधित है वह अगर कार्यवाही संस्थित करने की तिथि से चार वर्ष से पहले का है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चल सकती है, क्योंकि ऐसा आरोप कालबाधित का श्रेणी में आयेगा।** इस संबंध में पूर्व में पत्रांक–3448 दिनांक–02.12.2006 {2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खण्ड) पृष्ठ 356–358 द्रष्टव्य} की कंडिका–3(vi) में दिया गया अनुदेश तुरत के प्रभाव से अवक्रमित समझा जायेगा"

(ii) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0– 12943/09 उर्मिला शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43बी के तहत 04 वर्ष की गणना घटना की तिथि से होगी न कि घटना की जानकारी की तिथि से।

(iii) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0–11017/2010 मकसूद आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–14.11.2011 को पारित आदेश में न सिर्फ उक्त वर्णित अवधारणा को सम्पुष्ट किया गया है बल्कि वादी को 20000/– रुपये Cost का भुगतान करने का निदेश भी प्रतिवादियों को दिया गया है। उक्त वाद में न्यायालय का Observation निम्नवत् है–

"The writ application is allowed with costs of Rs.20000/- to be paid to the petitioner within a maximum period of four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order before the concerned respondent. The respondents shall initiate internalenquiry,fix responsibility for initiation of a preceeding contrary to law and recover the costs from the delinquent concerned after due opportunity and also initiate departmental proceedings for having abused the powers misleading the government which cannot be

Scanned with OKEN Scanner

classified quite simply as a bona fide mistake. Every person holding a public office is answerable and accountable for his actions which do not have the sanctity of law. Public power given for a public purpose has to be exercised for the public benefit and not in derogation to it by abuse of powers vested in a government functionary, in trust, by the government for use and not abuse.

The writ application is disposed."

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–1893 दिनांक–14.06.2011 की कंडिका–2(17) में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत कार्रवाई किये जाने का प्रावधान किया गया है जो निम्नवत् है–

"2(17) बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत सीधे कार्रवाई कदाचार के आरोपों के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। नियम–43बी में विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के फलाफल के आधार पर नियम–139 के तहत पेंशन से कटौती संभव है। परन्तु, यदि सेवा अभिलेखों के आधार पर सक्षम प्राधिकार को यह समाधान हो जाय कि पेंशनभोगी की सेवापूर्णतः संतोषजनक नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में नियम–43बी के तहत विभागीय कार्यवाही चलाये बिना भी नियम–139 के तहत सीधे कार्रवाई हो सकती है।"

(v) उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0–5314/2015 चन्द्रनाथ झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दिनांक–26.02.2019 को पारित आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि **सेवाकाल के कदाचार के लिए दंड अधिरोपित करने हेतु नियम–139 के प्रावधान का उपयोग किया जाना नियमसम्मत् नहीं है। इस प्रावधान का सीधे–सीधे उपयोग भी किया जा सकता है जब यह प्रमाणित किया जा सके कि पेंशनभोगी की सेवा उसके सेवाकाल में पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही है।**

(vi) बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43ए में सरकार द्वारा **किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के पूर्ण पेंशन अथवा उसके किसी अंश को रोकने अथवा उसकी वसूली किये जाने का प्रावधान किया गया है।** इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0–2527/2009 नित्यानन्द कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–13.02.2012 को पारित निर्णय महत्वपूर्ण है। उक्त निर्णय में स्पष्ट निर्धारित किया गया है कि इस **प्रावधान का उपयोग तभी किया जा सकता है जब सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का Future Good Conduct नहीं हो। सेवाकाल के किसी आरोप की जाँच के लिए नियम–43ए के प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा**

Scanned with OKEN Scanner

सकता है और इसलिए नियम–43बी के परन्तुक में निहित शर्त्त (आरोप की वास्तविक घटनाचार वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए) नियम–43ए के संदर्भ में प्रभावी नहीं है।

———————

Scanned with OKEN Scanner